G.C.MS. No. - 2020/00242
में जारी हुए

12/01/21

श्रवण कुमार

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 2 स्वयं उपस्थित। विपक्षी सं. 2 ने उसके विरुद्ध प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के पारित आदेश को निरस्त कर, उसके द्वारा उसके हिस्से की मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहने से उसकी मुआवजा राशि का चैक दिलाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को वि.सं. 2 के विरुद्ध प्रकरण दो तरफा करने तथा उसके हिस्से की मुआवजा राशि का चैक उसे सौंपने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रकरण में वि.सं. 2 के विरुद्ध पारित एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश निरस्त करते हुए विपक्षी सं. 2 के हिस्से की मुआवजा राशि का चैक उसे सौंपने के आदेश दिये जाते हैं।

चूंकि प्रकरण में वि.सं. 1 की तामील हेतु सूचना पत्र का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में कराया जा चुका है उसके पश्चात् भी विपक्षी सं. 1 उपस्थित नहीं हुआ है। अतः विपक्षी सं. 1 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। वि.सं. 1 द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करने से सिविल डिपोजिट की कार्यवाही हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ को प्रेषित किया जावे। चूंकि चैक विपक्षी के नाम का है, अतः उक्त चैक प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जाकर निर्धारित मुआवजा राशि सिविल डिपोजिट हेतु नवीन चैक जिला एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ के नाम से बनाकर प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे।

(के.के. शर्मा)
जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official